V

Printed Pages : 4

(21225)

Roll No.

LL.B.-III Sem.

# 13177

## LL.B. Examination, December-2025

## LAW

## Administrative Law

## (K-3003)

*Time : Three Hours]* *[Maximum Marks :100*

**Note :** Attempt questions from **all** sections as per instructions.

**नोट :** **सभी** खण्डों से निर्देशानुसार प्रश्न हल कीजिए।

### Section–A

### (खण्ड–अ)

### (Very Short Answer Questions)

### (अति लघु उत्तरीय प्रश्न)

**Note :** Attempt all the **five** questions. Each question carries 4 marks. Very short answer is required not exceeding 75 words. 5×4=20

**नोट :** सभी **पाँच** प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तर अपेक्षित है।

1. Explain in very brief the necessity of delegated legislation.
प्रत्यायोजित विधान की आवश्यकता को अति-संक्षेप में वर्णन कीजिए।

2. Point out the causes for the evolution of Administrative Law in very brief.
प्रशासनिक विधि के विकास के कारणों को अति-संक्षेप में इंगित कीजिए।





3. Explain in very brief the 'Doctrine of Reasoned decision'.
'सकारण निर्णय सिद्धान्त' का अति-संक्षेप में वर्णन कीजिए।

4. Explain in very brief the meaning of writ of Quo-warranto.
अधिकार पृच्छा याचिका के अर्थ को अति-संक्षेप में वर्णन कीजिए।

5. Write in very brief the object of Public Interest Litigation.
लोकहित वाद के उद्देश्य को अति-संक्षेप में लिखिए।

### Section–B

### (खण्ड–ब)

### (Short Answer Questions)

### (लघु उत्तरीय प्रश्न)

**Note :** Attempt any **two** questions out of the following three questions. Each question carries 10 marks. Short answer is required not exceeding 200 words. 2×10=20

**नोट :** निम्नलिखित तीन प्रश्नों में से किन्हीं **दो** प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित है।

6. No man shall be judge in his own cause. Discuss with the help of decided cases.
कोई भी व्यक्ति अपने मामले में निर्णायक नहीं हो सकता है। निर्णीत वादों की सहायता से विवेचना कीजिए।

7. Write an essay on writ of Quo-warranto. Refer to decided cases.
अधिकार-पृच्छा याचिका पर एक लेख लिखिए। निर्णीत वादों का हवाला दीजिए।

8. With the help of constitutional provisions and judicial verdicts discuss Doctrine of separation of powers as propounded by Montesquieu.
संवैधानिक प्रावधानों एवं न्यायिक निर्णयों की सहायता से मॉंटेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त की विवेचना कीजिए।

## Section–C
## (खण्ड-स)
## (Detailed Answer Questions)
## (विस्तृत उत्तरीय प्रश्न)

**Note :** Attempt any **three** questions out of the following five questions. Each question carries 20 marks. Answer is required in detail. $3 \times 20 = 60$

**नोट :** निम्नलिखित पाँच प्रश्नों में से किन्हीं **तीन** प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है। विस्तृत उत्तर अपेक्षित है।

9. No one is over and above the law is the essence of doctrine of rule of law propounded by Prof. A.V. Dicey. Critically examine this doctrine. With the help of constitutional provisions and decided cases explain in very brief the relevance of this doctrine in India.
प्रो. ए.वी. डायसी द्वारा प्रतिपादित विधि के शासन के सिद्धान्त का सार है कि कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। इस सिद्धान्त का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। संवैधानिक प्रावधानों एवं निर्णीत वादों की सहायता से भारत में इस सिद्धान्त की सुसंगतता का वर्णन अति-संक्षेप में कीजिए।





10. What do you mean by "Writ of Certiorari"? With the help of decided cases discuss different grounds of issuing this writ.
"उत्प्रेषण याचिका" से आप क्या समझते हैं? निर्णीत वादों की सहायता से इस याचिका को जारी करने के विभिन्न आधारों की विवेचना कीजिए।

11. Explain constitution, composition and functions of the institution of Lokpal in India.
भारत में लोकपाल संस्था के गठन, संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए।

12. With the help of decided cases discuss judicial control over delegated legislation.
निर्णीत वादों की सहायता से प्रत्यायोजित विधान पर न्यायिक नियंत्रण की विवेचना कीजिए।

13. Public Interest Litigation is an instrument of social change. Discuss with the help of decided cases.
लोकहित वाद सामाजिक परिवर्तन का एक यंत्र है। निर्णीत वादों की सहायता से विवेचना कीजिए।